



बिहार सरकार

पशुपालन निदेशालय, बिहार



ई-मेल - dirahd-bih@nic.in

वेबसाइट - ahd.bih.nic.in

दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक - 8 बजट (1) 05 /2017 प0पा0/60 (170) आ0

दिनांक -19/...0/.../2018

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा0प्र0से0

निदेशक पशुपालन।

सेवा में,

सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना।

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पटना/मुजफ्फरपुर।

विषयः-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक शीर्ष 2403- पशुपालन 102 - पशु तथा भैंस विकास 0007- मवेशी मेला एवं प्रदर्शनी और पशु कल्याण, मांग संख्या-02, विपत्रकोड -02-2403001020007 के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों के व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 19,08,800/- (उन्नीस लाख आठ हजार आठ सौ रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय को वहन करने हेतु आवंटनादेश संख्या-04 (नि०) आ० दिनांक-24.05.2017 एवं 35 (नि०) आ० दिनांक-10.10.2017 के क्रम में कुल ₹ 19,08,800/- (उन्नीस लाख आठ हजार आठ सौ रुपये) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

2- इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग सं०-02 के अधीन आय-व्ययक शीर्ष 2403-पशुपालन 102 पशु तथा भैंस विकास 0007 मवेशी मेला एवं प्रदर्शनी और पशु कल्याण, मांग संख्या-02, विपत्रकोड- 02-2403001020007 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3- यह आवंटन द्वितीय अनुपूरक आगणन से आच्छादित है।

4- यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये स्थायी योजना एवं स्थायी स्थापना के तहत दिया जा रहा है। इस राशि का विकलन योजनान्तर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद पर पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि भुगतान में ही किया जाय तथा किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त कर्मियों को भुगतान नहीं किया जाये। संगत वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

5- वित्त विभाग के पत्रांक 2725 वि० (2) दिनांक 15.04.2000 के समस्त प्रावधानों का भली-भाँति अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वांछित अर्हता/योग्यता रखने वाले पशु चिकित्सकों को ही गैर व्यवसायिक भत्ता (एन० पी० ए०) का भुगतान किया जाय। उक्त पत्र के समस्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किए बगैर गैर व्यवसायिक भत्ता (एन० पी० ए०) का भुगतान करने पर गलत भुगतान की स्थिति में इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

6- वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.1998, 428/वि० दिनांक- 31.03.2017 एवं 3002/वि० दिनांक- 26.04.2017 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक विषयशीर्ष की राशि दूसरी विषयशीर्ष (वेतन-भत्ते को छोड़कर) में व्यय नहीं की जायेगी।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।

Alus

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0 भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करा दे।

(घ) मृत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों एवं कोर्ट केस से संबंधित मामलों का भुगतान नियमानुकूल प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2017-18 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं0- 8 बजट (1) 05 /2017 प0पा0/60 (19/01) आ0/ पटना-15, दिनांक ..19/01/2018

प्रतिलिपि- उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या - टी0 ए0- 57 - 96-97-प0पा0-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं0- 8 बजट (1) 05 /2017 प0पा0/60 (19/01) आ0/ पटना-15, दिनांक ..19/01/2018

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/मुजफ्फरपुर/जिलाधिकारी, पटना/मुजफ्फरपुर को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं0- 8 बजट (1) 05 /2017 प0पा0/60 (19/01) आ0/ पटना-15, दिनांक ..19/01/2018

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0-405/98 पार्ट-3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं0- 8 बजट (1) 05 /2017 प0पा0/60 (19/01) आ0/ पटना-15, दिनांक ..19/01/2018

प्रतिलिपि- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/मुजफ्फरपुर को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं0- 8 बजट (1) 05 /2017 प0पा0/60 (19/01) आ0/ पटना-15, दिनांक ..19/01/2018

प्रतिलिपि- सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा- 8 एवं लेखा शाखा- 9 पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना/ आई0 टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को अनुलग्नक की प्रति के साथ (विभागीय वेबसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

Atul

वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक शीर्ष 2403 पशुपालन 102 पशु तथा नैस विकास 0007 मवेशी भेला एवं प्रदर्शनी और पशु कल्याण, मांग संख्या-02, विपन कोड-02-2403001020007 के अन्तर्गत आवंटन की विवरणी:-

| क्र० सं० | विवरण शीर्ष | कूट संख्या एवं मद का नाम | सहायक निदेशक, पशुपालन | | | क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पटना | | | क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, मुजफ्फरपुर | | | कुल आवंटन | | |
|----------|-------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------|---------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
| | | | पूर्व का आवंटन | अतिरिक्त आवंटन | कुल आवंटन | पूर्व का आवंटन | अतिरिक्त आवंटन | कुल आवंटन | पूर्व का आवंटन | अतिरिक्त आवंटन | कुल आवंटन | पूर्व का आवंटन | अतिरिक्त आवंटन | कुल आवंटन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 01-वेतन | 0007.01 01 - वेतन | 2343600 | 964500 | 3308100 | 132800 | 0 | 132800 | 479600 | 944300 | 1423900 | 2956000 | 1908800 | 4864800 |
| 2 | | 0007.01 03 - जीवन यापन भता | 3132900 | 0 | 3132900 | 161100 | 0 | 161100 | 578000 | 0 | 578000 | 3872000 | 0 | 3872000 |
| 3 | | 0007.01 04 - मकान किराया भता | 410400 | 0 | 410400 | 23700 | 0 | 23700 | 9900 | 0 | 9900 | 444000 | 0 | 444000 |
| 4 | | 0007.01 05 - परिवहन भता | 72200 | 0 | 72200 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 77000 |
| 5 | | 0007.01 06 - चिकित्सा भता | 21600 | 0 | 21600 | 2400 | 0 | 2400 | 8000 | 0 | 8000 | 32000 | 0 | 32000 |
| 6 | | 0007.01 07 - अन्य भता | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |
| | | योग - 02-2403.00.102.0007.01- वेतन | 5983700 | 964500 | 6948200 | 324800 | 0 | 324800 | 1075500 | 944300 | 2019800 | 7384000 | 1908800 | 9292800 |
| 7 | 06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 0007.06 01 - चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11-यात्रा व्यय | 0007.11 01 - यात्रा व्यय | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 |
| 9 | 13-कार्यालय व्यय | 0007.13 01 - कार्यालय व्यय | 117000 | 0 | 117000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 125000 |
| | | 0007.13 02-वाहन का ईंधन एवं रखरखाव | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 90000 |
| 10 | | 0007.13 03 - दूरभाष | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| 11 | | 0007.13 04-विद्युत प्रभार | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| 12 | | 0007.13 06 - वर्दी / पोशाक | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000 |
| 13 | | योग - 02-2403.00.102.0007.13- कार्यालय व्यय | 276000 | 0 | 276000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 284000 | 0 | 284000 |
| 14 | 14-किराया महसूल एवं कर | 0007.14.01-किराया महसूल एवं कर | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| 15 | 16-प्रकाशन एवं मुद्रण | 0007.16.01-प्रकाशन एवं मुद्रण | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 |
| 16 | 20-प्रशिक्षण व्यय | 0007.20.03-प्रशिक्षण व्यय | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 |
| 17 | 26-विज्ञापन और प्रकाशन | 0007.26.01-विज्ञापन और प्रकाशन | 1300000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 |
| | | योग - 02-2403.00.102.0007-मवेशी भेला एवं प्रदर्शनी और पशु कल्याण | 7934700 | 964500 | 8899200 | 332800 | 0 | 332800 | 1075500 | 944300 | 2019800 | 9343000 | 1908800 | 11251800 |

(नी लागू करत)
इकाए (वैश सी)
करावे मात्र

(नी लागू)
वैश सी
करावे मात्र

(वैश सी लागू)
आठ इकाए आठ
सी)
करावे मात्र

60
19/01/2018

निदेशक, पशुपालन।

19/1/18

5- वित्त विभाग के पत्रांक 2725 वि० (2) दिनांक 15.04.2000 के समस्त प्रावधानों का भली-भाँति